भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 821

07 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

स्क्रैप और प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी

821. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात विनिर्माण में स्क्रैप और प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है ताकि इस प्रक्रिया में कोयले की आवश्यकता को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष कितना प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों की खपत की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में कार्बन के उपयोग में कितनी कमी आएगी;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष विनिर्माण में कतिपय मात्रा में स्क्रैप और प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए कंपनियों के लिए कोई मानक निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख): भारतीय इस्पात उद्योग में अपशिष्ट प्लास्टिक के खपत की संभावनाएं मौजूद हैं। अपशिष्ट प्लास्टिक को कोक निर्माण में कोकिंग कोल के प्रतिस्थापन (1% तक) के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपशिष्ट प्लास्टिक को पेट कोक के प्रतिस्थापन के रूप में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) में अल्प मात्रा में उपयोग किया जा सकता है।

(ग) और (घ): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (पीडब्ल्यूएम-2016) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 06 जुलाई, 2022 की राजपत्रित अधिसूचना जी.एस.आर. 522 (ई) के माध्यम से परवर्ती संशोधन के अनुसार, इस्पात उद्योग में सह-प्रसंस्करण के लिए केवल "एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल" प्लास्टिक अनुमेय है और ऐसे अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, को केवल पुनर्चक्रण के लिए अधिदेशित किया गया है। वर्तमान में,"एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल" प्लास्टिक अपशिष्ट की उपलब्धता एक प्रमुख बाधा है।

उपर्युक्त प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत, नगरपालिकाएं/ स्थानीय निकाय स्वयं के स्तर पर अथवा एजेंसियों या विनिर्माताओं को शामिल करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण प्रणाली के सृजन एवं स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं।

****